दिनांक 03.01.2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निगम आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने ऑनलाइन एवं लोक सेवा केंद्र के प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली विलंब से आने वाले एवं अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी/ कर्मचारियों पर गिरी गाज'

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने आज लोक सेवा केंद्रों के प्रकरण एवं ऑनलाइन आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की तथा बैठक में अनुपस्थित रहने वाले एवं अधूरी जानकारी रखने वाले तथा समय पर प्रकरणों का निपटारा न करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों पर बिफर पड़े।

ऑनलाइन प्रकरणों के निपटारा करने के लिए आवेदक को बुलाए जाने पर तथा बार–बार निर्देश देने के बाद भी पालन नहीं किए जाने पर जोन क्रमांक 5 के जोन आयुक्त डी.के. वर्मा पर गहरी नाराजगी जताई।

जोन क्रमांक 5 के प्रभारी सहायक राजस्व निरीक्षक के अनुपस्थित रहने पर आयुक्त ने जोन आयुक्त डी.के वर्मा से जानकारी मांगी जिस पर जोन आयुक्त वर्मा द्वारा बताया गया कि सूचना देने के बाद भी प्रभारी सहायक राजस्व निरीक्षक अनुपस्थित है जिस पर आयुक्त महोदय द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी श्यामलाल मांझी के समक्ष राशन कार्ड के 64 प्रकरण लंबित होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए उपायुक्त अशोक द्विवेदी को निर्देशित किया, जिस पर उपायुक्त द्वारा निर्देश का पालन करते हुए प्रकरण प्रस्तुत कर प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी श्याम लाल मांझी को निगमायुक्त ने निलंबित कर दिया गया।लोक सेवा केंद्र के प्रकरण एवं राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता सहित ऑनलाइन लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए आवेदनों की समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रकरण का निपटारा नहीं करने वाले अधिकारियों पर आयुक्त सुंदरानी बरस पड़े।

नल कनेक्शन के लंबित मामलों को लेकर जोन आयुक्त जोन क्रमांक 2 सुनील जैन को 2 घंटे के भीतर आवेदन का उचित निपटारा करने के लिए निर्देशित किया गया।

आयुक्त सुंदरानी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि आवेदक, आवेदन करने के बाद भी अनावश्यक इधर–उधर भटकेगे उन अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी ऐसे प्रकरणों का यथोचित निराकरण करें जिन को त्वरित निराकृत किया जा सकता है।

ऑनलाइन प्रकरण के निराकरण के लिए प्राप्त आईडी के संदर्भ में स्पष्ट जवाब न दे पाने के कारण स्वास्थ्य अधिकारी आई.एल. यादव व योजना प्रभारी मूर्ति शर्मा पर नाराजगी जाहिर करते हुए दोनों को संयुक्त रूप से समाधान निकाल कर प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने निर्देशित किया गया।

आयुक्त ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन एवं लोक सेवा केंद्रों के समस्त प्रकरणों को 2 घंटे के भीतर निराकरण कर सूचित करने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि समय पर समीक्षा बैठक में नहीं आने वाले एवं आधी–अधूरी जानकारी के साथ आने वाले तथा कार्य पूर्ण न करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अब कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी।

जनसम्पर्क अधिकारी